

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 211 / 2022(जी.सी.एम.एस. 2022 / 314)

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|--|--------------|---|
| 1. जितेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। | जागिंड तहसील | 1. अमृतपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| 2. ईश्वर चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। | जागिंड तहसील | 2. गुरबिन्द्र कौर पत्नी अमृतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| 3. मनीष कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। | जागिंड तहसील | 3. राजेन्द्रपाल कौर पत्नी हरजिन्द सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 4. सिंधू अजयपाल सिंह पुत्र हरजिन्द सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 5. हरदिलजीत सिंह पुत्र गुरजन्द सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 6. गुरचरण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 7. गुरदीप कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 8. गुरप्रीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 9. जसकरण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 10. लखा सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) |
| | | 10/1. बलजिन्द्र कौर पत्नी लखा सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 10/2. कुलवीर सिंह पुत्र लखा सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 10/3. नवनीत कौर पुत्री लखा सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 11. सतपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 12. गुरदेव सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। |

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 24.11.2022

उपस्थित: 1. श्री इन्द्राज सेजु अधिवक्ता वादीगण

2. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3,4,12

3. श्री सुधीर शर्मा प्रतिवादी संख्या 5

4. श्री मोहित गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6, 9, 10/1, 10/2

—निर्णय—

दिनांक: 10.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नगमी, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 8/6 के मुरब्बा नम्बर 9, 35, 104/49 की कुल 11.511 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 9, 11, 35, 38, 83, 104/47 की कुल 11.476 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादीगण के नाम 2.606 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादीगण की उक्त भूमि जरिए बैयनामा खरीदशुदा है और भूमि की खरीद की रोज से वादीगण का कब्जा काश्त चक 35 एच के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 16 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 5 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.025 हैक्टेयर, पूर्वी दिशा व किला नम्बर 15 की 0.026 हैक्टेयर पूर्वी दिशा कुल 2.606 हैक्टेयर भूमि पर शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की वारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान

राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झुगना पड़ता है। इस कारण वादीगण खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। वादीगण ने आज से 2 गेज पूर्व इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 8/6 के मुरब्बा 35, 38, 83, 104/47 की कुल 11.511 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 9, 11, पत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 5 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.025 हैक्टेयर, पूर्वी दिशा व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

- वाद पत्र पेश होने पर बर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलव किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा, प्रतिवादी संख्या 3,4,12 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादी संख्या 6,9,10/1,10/2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित गोयल उपस्थित आए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पेश किया। जो नोटप्रेम करने पर खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6, 9, 10/1, 10/2, 12 की ओर से काउन्टर क्लेम पेश किया। जो सामिल मिसल किया गया। नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10(मृतक) के विधिक वारिसान को प्रतिवादी संख्या 10/1 ता 10/3 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7, 8, 10/1, 10/3, 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादगत भूमि के संबंध में कब्जा काश्त की रिपोर्ट मंगवाई जावे। वादगत भूमि के संबंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से कब्जा काश्त बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। सामिल मिसल किया गया।
- बहस अधिवक्तागण सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

--:आदेश:-

- अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के मुताबिक प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज व वादीगण का वादपत्र भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 8/6 के मुरब्बा नम्बर 9, 35, 104/49 की कुल 11.511 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नम्बर 9, 11, 35, 38, 83, 104/47 की कुल 11.476 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

| क्र. स. | नाम खातेदारान मय वलदियत सकूनत | राजस्व ग्राम | मु.न. | किला न. | रकबा | किस्म | लगान |
|---------|--|--------------|-------|----------|----------------|-------|-------|
| 1 | जितेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (0.873 हैक्टेयर) | 35 एच | 35 | 5 | 0.025 हैक्टेयर | नहरी | 0.19 |
| | ईश्वर चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (0.872 हैक्टेयर) | | | 6 | 0.025 हैक्टेयर | नहरी | 0.19 |
| | मनीष कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (0.860 हैक्टेयर) | | | 15 | 0.025 हैक्टेयर | नहरी | 0.19 |
| | | | | 16 ता 25 | 2.530 हैक्टेयर | नहरी | 19.50 |

गिजेन्द्र कुमार आदि बनाम अमृतपाल सिंह आदि
वाद पत्र नं. 53,88,91 आरटीए,
प्रकरण संख्या 211/2022


शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/
विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा
बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाव्ता
दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।


{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।




{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, खल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जितेन्द्र कुमार आदि बनाम अमृतपाल सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 211/2022

निर्णय दिनांक :-10.10.2024

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कर्तई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के मुताबिक प्रतिवादीगण साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 35 एच, पटवार हल्का वुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नम्बा, 11.511 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 8/6 के मुख्वा नम्बर 9, 35, 104/49 की कुल 11.476 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

| क्र. स. | नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत | राजस्व ग्राम | मु.न. | किला न. | रकबा | किस्म | लगान |
|---------|--|--------------|-------|----------|----------------|-------|-------|
| 1 | जितेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (0.873 हैक्टेयर) | 35 एच | 35 | 5 | 0.025 हैक्टेयर | नहरी | 0.19 |
| | ईश्वर चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (0.872 हैक्टेयर) | | | 6 | 0.025 हैक्टेयर | नहरी | 0.19 |
| | मनीष कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जागिंड निवासी वार्ड नम्बर 23 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (0.860 हैक्टेयर) | | | 15 | 0.025 हैक्टेयर | नहरी | 0.19 |
| | | | | 16 ता 25 | 2.530 हैक्टेयर | नहरी | 19.50 |

शेष खाता एवं रहन बवस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। आज दिनांक 01.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

| मुददई | रुपया | पैसा | मुदायली | रुपया | पैसा |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 200 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| योग | 204 | 00 | योग | 00 | 00 |

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

दिनांक: 14.10.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/546

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर,

पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

